राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तराखण्ड
रा०गां०न०वि० आई०टी० परिसर, ननूरखेड़ा, देहरादून
फोन नं० – 0135–2789655 फैक्स नं०– 0135–2789656
ई–मेल – scert_ua@rediffmail.com

प्रेषक,

निदेशक,
अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
जनपद –..,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : टी०ई०टी० / 4795–4810 /2014–15, दिनांक 28 सितम्बर 2014

विषय : **उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में बी०एड०, टी०ई०टी० उत्तीर्ण सहायक अध्यापको की नियुक्ति विषयक।**

महोदय,

उक्तवत विषयक शासनादेश संख्या 149/XXIV(1)/2014–28/2010 शिक्षा अनुभाग–1 बेसिक दिनांक 31 जनवरी 2014 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा के पत्र संख्या प्रा०शि०/सेवा–(2)/11733 /बी०एड०–टी०ई०टी०/2014–15 दिनांक 25–9–2014 के अनुपालन में राज्य स्तरीय चयन के आधार पर प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता एवं अर्जित गुणांक की श्रेष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र में अंकित वरीयता के आधार पर उन्हें जनपद का आबंटन किया गया है। जनपदवार अर्ह अभ्यर्थियों की सूचियाँ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) को इस आशय से उपलब्ध कराई जा रही हैं कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल आवेदन पत्र में अंकित समस्त सूचनाओं एवं उसके संलग्नकों का मूल प्रमाण पत्रों से अवश्य मिलान कर लिया जाए। उसके उपरान्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाय। इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर भी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

1. आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि (दि0 3 मार्च 2014) के बाद निर्गत कोई भी अधिमानी प्रमाणपत्र/अंकपत्र मान्य नहीं होगा।
2. अभ्यर्थी के समस्त प्रमाणपत्रों का मिलान उनके मूल प्रमाणपत्रों से कर लिया जाय एवं समस्त प्रमाण पत्रों का एक सैट अभिलेख हेतु अवश्य जमा करवा दें।
3. महिला अभ्यर्थियों के नाम में परिवर्तित होने की दशा में उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र की जाँच कर ली जाय।
4. अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो एवं उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में उसका पंजीकरण/नवीनीकरण दिनांक 3 मार्च 2014 से पूर्व का होना चाहिए।

5. अभ्यर्थी की जन्मतिथि का मिलान उसके हाई स्कूल के प्रमाणपत्र के आधार पर किया जाय। आयु की गणना अवश्य कर ली जाय। निर्धारित नियमानुसार आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में छूट की सुविधा अनुमन्य होगी।

6. भूतपूर्व सैनिकों को आयु में छूट शासनादेश के अनुरूप ही अनुमन्य की जायेगी।

7. अभ्यर्थी के आवेदन पत्र की जाँच करते समय उसमें अंकित लिंग के कोड की जाँच कर ली जाय।

8. अभ्यर्थी के प्रदत्त गुणांक की गणना विज्ञप्ति के प्रस्तर 8 क के अनुसार की जायेगी। अतः अभ्यर्थियों की अंकसूची व प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियों का मूल अभिलेखों से मिलान करने के पश्चात गुणांक की जाँच कर लें।

9. वरिष्ठता बी0एड0 वर्ष के आधार पर निर्धारित की गई है। अतः बी0एड0 की डिग्री व उसका वर्ष मूल डिग्री से आवश्यक रूप से जाँच लें, भिन्नता होने की दशा में नियुक्ति पत्र जारी न किया जाय।

10. समस्त प्रमाणपत्र व डिग्रियाँ मान्यता प्राप्त संस्थान /विश्वविद्यालय /बोर्ड से ही निर्गत हों। बी0एड0, बी0एड0 (विशेष शिक्षा) व डी0एड0 (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।

11. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति) के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्र का मिलान उनके मूल प्रमाण–पत्र से अवश्य कर लिया जाय। प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2014 से पूर्व का निर्गत होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि यह प्रमाण पत्र आवेदक के नाम से जारी होना आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति आरक्षित श्रेणी का दावा मान्य नहीं होगा।

12. क्षैतिज आरक्षण में विकलांग दृष्टिबाधित, विकलांग श्रवणह्रास व विकलांग चलन क्रिया निःशक्तता का पदों के सापेक्ष आवंटित किया गया है। अतः किसी भी दशा में एक श्रेणी के विकलांग को दूसरी विकलांगता श्रेणी के पद के सापेक्ष नियुक्ति न दी जाय। विकलांगता 40 प्रतिशत् से कम नहीं होनी चाहिए तथा प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। विकलांगता प्रमाणपत्र का मिलान उनके मूल प्रमाण–पत्र से अवश्य कर लिया जाय।

13. क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत जिन अभ्यर्थियों का चयन स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के रूप में किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के नाम से निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया होना आवश्यक है तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी से उनका सम्बन्ध स्पष्ट रूप में अंकित होना चाहिए। प्रमाणपत्र का मिलान उनके मूल प्रमाण–पत्र से अवश्य कर लिया जाय।

14. जनपदवार प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष 50 प्रतिशत पदों पर विज्ञान एवं 50 प्रतिशत पदों पर विज्ञानेत्तर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। विज्ञान वर्ग हेतु विज्ञान स्नातक तथा कृषि स्नातक तथा विज्ञानेत्तर वर्ग में कला, वाणिज्य तथा गृह विज्ञान के स्नातकों का चयन किया गया है।

15. उत्तराखण्ड राज्य से यू0टी0ई0टी0 प्रथम एवं सी0टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक हेतु अर्ह हैं। प्रमाण–पत्रों की जॉच के समय इस तथ्य का भी अवलोकन किया जाय एवं मूल प्रमाण–पत्र से अंकों का मिलान अवश्य कर लिया जाय।

16. अभ्यर्थी के गुणांक में किसी भी स्तर पर परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी की मेरिट प्रभावित होगी। ऐसी दशा में सम्बन्धित को किसी भी दशा में नियुक्ति पत्र जारी न किया जाय।

17. जिन अभ्यर्थियों के नाम सम्मुख औपबन्धिक अंकित किया गया है, यह आवश्यक है कि सम्बन्धित के नाम के सम्मुख अंकित कमी/आपत्ति के निराकरण के उपरान्त ही नियुक्ति–पत्र निर्गत किया जाय।

18. आवेदन पत्र में चस्पा सम्बन्धित अभ्यर्थी के फोटो का मिलान भी अवश्य कर लिया जाय।

19. चयन समिति द्वारा अभ्यर्थी को आवंटित जनपद अपरिवर्तनीय होगा।

20. चयन सूची में अंकित अन्य पिछड़ा वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके सम्मुख न्यायालयवाद/कोर्ट केस (औपबन्धिक) Provisional अंकित है, उनके पद सुरक्षित रखें, इन पदों पर मा0 न्यायालय अथवा राज्य सरकार के विधिक परामर्श के उपरान्त ही नियुक्ति प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी।

21. विज्ञप्ति में निर्धारित शर्तों के अनुरूप ही चयन व नियुक्ति की जानी है। अतः विज्ञप्ति के अध्ययन के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी करें।

21 B. [illegible] N.O.C. के बाद ही [illegible]

22. किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर उसके समाधान के उपरान्त ही नियुक्ति पत्र जारी किए जाएँ। किसी भी त्रुटिपूर्ण नियुक्ति के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरदायी होंगे।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1– चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं मूल आवेदन पत्र।
2– विज्ञप्ति की छायाप्रति।
3– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा जारी निर्देश।

भवदीय

24/9/14

(सीमा जौनसारी)
निदेशक,
अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ0सं0 :टी0ई0टी0/ /2014–15, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।

(आर0डी0 शर्मा)
अपर निदेशक,
एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड,
देहरादून।